



झारखण्ड गजट

असाधारण अंक

झारखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित



23 वैशाख, 1946 (श०)

संख्या - 262 राँची, सोमवार,

13 मई, 2024 (ई०)

कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग

संकल्प

23 फरवरी, 2024

संख्या-5/आरोप-1-25/2021-21176 (HRMS)--श्री प्रभात भूषण सिंह झा०प्र०से० (तृतीय बैच), तत्कालीन अंचल अधिकारी, कांके, राँची के विरुद्ध राजस्व, निबंधन एवं भूमि सुधार विभाग, झारखण्ड, राँची के पत्रांक-3260/रा०, दिनांक 16.09.2021 के माध्यम से जिला स्थापना उप समाहर्ता, राँची के पत्रांक-2028(ii)/स्था०, दिनांक 10.08.2021 द्वारा आरोप-पत्र गठित कर उपलब्ध कराया गया है। आरोप पत्र में इनके विरुद्ध निम्नवत् आरोप प्रतिवेदित किया गया-

1. श्री प्रभात भूषण सिंह राँची जिला अन्तर्गत कांके अंचल में दिनांक 12.05.2016 से 28.02.2019 तक अंचल अधिकारी, कांके के पद पर पदस्थापित थे। उप समाहर्ता भूमि सुधार, सदर, राँची एवं अंचल अधिकारी, कांके के संयुक्त जाँच प्रतिवेदन पत्रांक-1340(ii), दिनांक 22.06.2019 में स्पष्ट है कि मौजा-चामा, थाना नं०-55, खाता सं०-87, प्लॉट सं०-1232 में संधारित वर्ष 2018-19 में संदिग्ध जमाबंदी को बिना संज्ञान में लिए गैरमजरूआ मालिक खाते की भूमि का दाखिल खारिज किया गया है। उक्त कृत्य एवं आचरण, कर्तव्य के प्रति असंवेदनशीलता को भी प्रमाणित करता है। उक्त के लिए श्री प्रभात भूषण सिंह प्रथम दृष्टया दोषी है।

2. कांके अंचल अन्तर्गत मौजा-चामा, थाना नं०-55, खाता सं०-87 सर्वे खतियान में गैरमजरूआ मालिक परती कदीम दर्ज है। श्री प्रभात भूषण सिंह, तत्कालीन अंचल अधिकारी, कांके मौजा-चामा, थाना नं०-55, खाता सं०-87, प्लॉट सं०-1232 अन्तर्गत नामान्तरण वाद संख्या-5238 R27/2018-19, 5232 R27/2018-19, 5235 R27/2018-19, 5239 R27/2018-19, 5240 R27/2018-19, 5241 R27/2018-19, 5242 R27/2018-19, 5243 R27/2018-19, 5246 R27/2018-19, 5249 R27/2018-19, 5250 R27/2018-19, 5252 R27/2018-19, 5257 R27/2018-19, 5262 R27/2018-19, 5274 R27/2018-19 एवं 4987 R27/2018-19 के आलोक में 16 (सोलह) व्यक्तियों के नाम से कागजातों का बिना जाँच किये ही नामान्तरण स्वीकृत किया गया है, जिसके कारण पंजी-॥ के विभिन्न पृष्ठों पर जमाबंदी कायम हुई। उपरोक्त अंकित सभी जमाबंदी मौजा-चामा के आनलाईन पंजी-॥ के भाग संख्या-2, पृष्ठ सं०-115 में अंकित जमाबंदी रैयत आमोद कुमार, पिता- रामनारायण शर्मा के जमाबंदी से घटाया गया है। मौजा-चामा के खाता सं०-87, प्लॉट सं०-1232 भूमि गैरमजरूआ मालिक किस्म परती कदीम भूमि है। प्रश्नगत भूमि के संदर्भ में प्रकृति/किस्म एवं उक्त भूमि प्रतिबंधित सूची में इन्द्राज है अथवा नहीं का गहनतापूर्वक जाँच नहीं किया गया। गैरमजरूआ भूमि पर विक्रेता आमोद कुमार के नाम कायम जमाबंदी नियमितकरण के संदर्भ में श्री प्रभात भूषण सिंह, तत्कालीन अंचल अधिकारी द्वारा राजस्व कागजातों का गहनतापूर्वक बिना जाँच किये ही नामान्तरण स्वीकृत किया गया, जिसके कारण विभिन्न क्रेताओं के नाम आनलाईन पंजी-॥ के विभिन्न पृष्ठों पर नामान्तरण उपरांत जमाबंदी कायम हुआ।

श्री प्रभात भूषण सिंह, तत्कालीन अंचल अधिकारी, कांके अंचल द्वारा नामान्तरण की स्वीकृति हेतु स्थापित प्रक्रिया, उपलब्ध प्रावधानों एवं राजस्व कागजातों (खतियान/जमाबंदी पंजी-॥ /नक्शा/दर्ज जमीन का किस्म/प्रकृति) से सत्यापन की अनिवार्यता को नजरअंदाज करते हुए नियम विरुद्ध नामान्तरण की स्वीकृति दी गयी। इस तथ्य को इंकार नहीं किया जा सकता है कि नामान्तरण वादों की स्वीकृति की अनुशंसा करने के क्रम में राजस्व उप निरीक्षक एवं अंचल निरीक्षक द्वारा अपने विहित जाँच प्रपत्र में अच्छादित उक्त भूमि का खतियान में दर्ज गैरमजरूआ मालिक की भूमि को अंकित नहीं किया गया होगा। अंचल अधिकारी को अपने क्षेत्रान्तर्गत सरकारी भूमि के आंकड़ों को संज्ञान में रखना नितान्त आवश्यक है।

प्रावधानानुसार गैरमजरूआ भूमि इस मामले में हस्तांतरणीय नहीं है। प्रस्तुत मामले में प्रतिवेदनानुसार लगान निर्धारण वाद एवं भूमि के रैयतीकरण से संदर्भित एम० फारम को प्रथम संदिग्ध बताया गया है। उक्त तथ्यों से अवगत रहते हुए नामान्तरण वादों के निष्पादन में उपलब्ध प्रावधानों एवं परिचारित निर्देशों का अनुपालन नहीं करते हुए नियमविरुद्ध नामान्तरण वादों को स्वीकृति प्रदान करने में श्री सिंह प्रथम दृष्ट्या दोषी हैं।

3. श्री प्रभात भूषण सिंह, तत्कालीन अंचल अधिकारी, कांके अंचल का उक्त आचरण प्रथम दृष्ट्या पूर्ण शीलनिष्ठा एवं कर्तव्य के प्रति निष्ठा में अभाव को प्रदर्शित करता है, जो सरकारी सेवक आचार नियामवली के नियम-3(1)(i)(ii) एवं (iii) के प्रतिकूल आचरण है।

उक्त आरोपों के लिए विभागीय अधिसूचना सं0-5483, दिनांक 27.05.2022 द्वारा श्री सिंह को निलंबित किया गया तथा विभागीय संकल्प सं0-5484, दिनांक 27.05.2022 द्वारा इनके विरुद्ध विभागीय कार्यवाही संचालित की गई। संचालन पदाधिकारी के पत्रांक-234, दिनांक 06.10.2023 द्वारा जाँच प्रतिवेदन समर्पित किया गया है, जिसमें इनके विरुद्ध गठित सभी आरोप को प्रमाणित प्रतिवेदित किया गया।

संचालन पदाधिकारी से प्राप्त जाँच प्रतिवेदन के समीक्षोपरांत विभागीय अधिसूचना सं0-25352(HRMS) दिनांक 14.12.2023 द्वारा श्री सिंह को निलंबन से मुक्त करते हुए यह निर्णय लिया गया कि निलंबन अवधि में जीवन निर्वाह भत्ता के अतिरिक्त कुछ भी देय नहीं होगा, परन्तु उक्त अवधि की गणना पेंशन प्रयोजनार्थ की जायेगी। साथ ही, विभागीय जाँच पदाधिकारी के प्रतिवेदन से सहमत होते हुए श्री सिंह के विरुद्ध झारखण्ड सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली, 2016 के नियम- 14(iv) के तहत असंचयात्मक प्रभाव से दो वेतन वृद्धि पर रोक का दण्ड प्रस्तावित किया गया।

उक्त प्रस्तावित दण्ड पर विभागीय पत्रांक-7146, दिनांक 21.12.2023 द्वारा श्री सिंह से द्वितीय कारण पृच्छा की माँग की गयी। उक्त के अनुपालन में श्री सिंह के पत्र, दिनांक 31.01.2024 द्वारा द्वितीय कारण पृच्छा का जवाब समर्पित किया गया, जिसमें निम्न तथ्यों का उल्लेख किया गया-

I very humbly submit that the proposed punishment may not be inflicted upon me for the following facts and reasons:-

1. The 16 mutation cases, which are reflected in the memo of charge, were dealt with by me as Circle officer, Kanke, Ranchi strictly in accordance with law. It is not in dispute that the applicants who filed these cases were having the registered sale deeds by the competent authority in their favour. It is also not in dispute that the person from whom they purchase the land through registered sale deeds, namely Amod Kumar, was also having the order of mutation in his favour. Once there were registered sale deeds on favour of the applicants and there was already a previous mutation in the name of the Seller (Amod Kumar), and the Jamabandi was also recorded in favour of Shri Amod Kumar, there was no option for me to deviate therefrom.

2. It is well settled that the mutation does not create right, title and interest in favour of a person. However, once the sale deeds are produced and the person who sold the lands, is having the mutation in his favour, the officer like me, who was holding the post of Circle officer, before whom the mutation cases were filed, is duty bound to issue an order for mutation. I discharged my duty absolutely with devotion, diligently, sincerely and in accordance with law.

3. Moreover, I was discharging the power of quasi judicial authority. My orders are always subject to challenge before the appellate authority. Once I acted as a quasi judicial authority, I cannot be punished for the order that I have passed in favour of one or the other party. I exercised my wisdom based on the materials on record. Not only this, there was recommendation for such mutation by the concerned Halka Karamchari as also the Circle Inspector concerned. On the basis of the materials on record and these two recommended for mutation, I, holding the post of Circle officer, passed such order. This cannot become a subject matter of misconduct against an officer who acted in capacity of a quasi judicial authority.

4. Reference in this context, however, may be made to the judgement of the Hon"ble High Court of Jharkhand at Ranchi in the case of Shobha Singh Vs.The State of Jharkhand, decided on 05.04.2023 in W.P.(C) No.2073/2020 with its analogous case Punam Panday Vs. State of Jharkhand in W.P.(C) No.3691/2020. There two writ petitions were preferred by those in whose favour of sale deeds were there and I mutated their names. The Hon"ble High Court of Jharkhand was pleased to hold that mutation neither creates nor extinguishes right, title and interest of any person upon a land. It was further held that cancellation of Jamabandi would not resolve the dispute between the parties. The Hon"ble Court went on to further hold that the State is calming its title upon the said land on the ground that the nature of the land is 'Gairmajarua Malik'. While holding so, the Hon"ble High Court was pleased to quash the proceeding for cancellation of such Jamabandi. In this view of the matter also the proposed penalty may not be imposed upon me.

5. From perusal of the Enquiry Report dated 06.10.2023 which has been forwarded to me along with letter dated 21st December 2023 it would be evident that there is a finding recorded by the Enquiry officer in my favour to the effect that the order of mutation was passed by me on the basis of the recommendation of the Revenue Deputy Inspector (Halka Karamchari) and Circle Inspector. The Enquiry officer came to this conclusion on the basis of various documents on record. But, still the charges are said to be proved against me, which is a complete miscarriage of justice.

6. Proving the charge against me without examining even a single witness is contrary to law. Mere production of document would not be sufficient to prove the charge unless the same is proved by a witness.

7. Once the Halka Karamchari (Revenue Deputy Inspector) as also the Circle Inspector of the area reported to me that there are registered sale deeds in favour of the applicants and they are in possession of the property as also that there is Jamabandi recorded in the name of the seller, I had no option, but to order mutation in favour of the applicants. My this wisdom as a Quasi Judicial officer cannot be termed as a misconduct under the law.

In the light of what has been stated above, I humbly request that the proposed punishment of stoppage of two increments without cumulative effect may not be inflicted upon me and I may be exonerated of the charges.

श्री सिंह के विरुद्ध प्रतिवेदित आरोप, संचालन पदाधिकारी के मंतव्य एवं उनसे प्राप्त द्वितीय कारण पृच्छा की समीक्षोपरांत प्रमाणित आरोपों के लिए उनके विरुद्ध झारखण्ड सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली, 2016 के नियम-14(iv) के तहत असंचयात्मक प्रभाव से दो वेतन वृद्धि पर रोक का दण्ड अधिरोपित किया जाता है।

आदेश:- आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प को झारखण्ड राजपत्र के आसाधारण अंक में प्रकाशित किया जाय तथा इसकी एक प्रति श्री प्रभात भूषण सिंह, झां०प्र०से० एवं अन्य संबंधित को दी जाय।

Sr No.	Employee Name G.P.F. No.	Decision of the Competent authority
1	2	3
1	PRABHAT BHUSHAN SINGH JHK/JAS/159	श्री प्रभात भूषण सिंह, तत्कालीन अंचल अधिकारी, कांके, राँची के विरुद्ध झारखण्ड सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली, 2016 के नियम-14(iv) के तहत असंचयात्मक प्रभाव से दो वेतन वृद्धि पर रोक का दण्ड अधिरोपित किया जाता है।

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से,

चिन्टु दोराईबुरु,

सरकार के संयुक्त सचिव।

जीपीएफ संख्या:20060400057
